न्यायालय :- श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक / 2001-2002 निगरानी — 2234-II/2001

नारायणलाल पुत्र गंगाराम वैश्य निवासी गंगाराम का पुरा
जौरा सबलगढ़ तहसील व जिला मुरैना म0प्र0

बनाम -------- आवेदक

म0प्र0. शासन -------- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 29-8-2001 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चंबल संभाग मुरैना प्र0क्र0 84/2000-2001 स्वमेव निगरानी- अन्तर्गत धारा 50 भू0 राजस्व संहिता

श्रीमानजी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

1/ यह कि, आवेदक द्वारा ग्राम गंगाराम का पुरा [illegible] तहसील [illegible] में स्थित अपने भूमिस्वामित्व स्वत्व [illegible] की भूमि सर्वे नं0 176 रकबा 10 विस्वा से इसी ग्राम की शासकीय भूमि सर्वे नं0 483 रकबा 8 विस्वा को विनिमय स्वीकार किये जाने बाबत् आवेदन अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय मुरैना के समक्ष प्रस्तुत किया। जो प्र0क्र0 6/89-90 अ-19-4 पर कायम होकर आदेश दिनांक 29-12-99 को जांच [illegible] एवं साक्ष्य के बिना किसी आपत्ति पर विनिमय स्वीकार करते हुए शासकीय अन्तर की राशि 1000=00 रुपया जमा किये जाने का आदेश दिया। इस मामले की जाँच तहसीलदार [illegible] से कराई गई व इश्तहार जारी किये गये निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई नगर पालिका परिषद [illegible] ने अपने पत्र दिनांक 4-11-89 से विनिमय स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की पटवारी मौजा का कथन लेखबद्ध किया गया विनिमय की जाने वाली भूमि एक ही गाँव की होने से समान मूल्य की बताया गया सर्वे नं0 483 पटवारी अभिलेख में नक्शा अंकित है किन्तु मौके पर नक्शा अंकित नहीं [illegible] भूमि समतल होने से कृषि योग्य है आवेदक की भूमिस्वामी

(50)

(५२)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश– ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2234–दो / 2001 जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–4–14	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 24.2.2004 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 4–4–2014 तक नियत होता रहा किन्तु 24.2.2004 से 4–4–14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 4–4–2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2001 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशासकीय सदस्य	